156
24/02/22

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

अधिसूचना

झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची के ज्ञापांक–59/गो०से०आ० दिनांक–02.07.2015 से निर्गत अधिसूचना के कंडिका–9 एवं संशोधित अधिसूचना ज्ञापांक–944 दिनांक–03.06.2016 में वर्णित तस्करी में पकड़े गये गोवंशीय पशुओं के भोजनादि मद में संबंधित जिलों के उपायुक्त की अनुशंसा एवं दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अधिकतम रु० 50.00 (पचास रुपये मात्र) प्रति पशु प्रति दिन की दर से अधिकतम (छः) माह तक के स्थान पर संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 से रु० 100.00 (सौ रुपये मात्र) प्रति पशु प्रति दिन की दर से अधिकतम 01 (एक) वर्ष तक ही राशि झारखण्ड गो सेवा आयोग/झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

2. गो सेवा आयोग के ज्ञापांक–59/गो०से०आ० दिनांक–02.07.2015 से निर्गत आदेश की कंडिका–9 एवं संशोधित अधिसूचना ज्ञापांक–944 दिनांक–03.06.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

3. संशोधित प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

4. अधिसूचना की शेष शर्तें एवं अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

24.2.22
संयुक्त सचिव,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक–झा०गो०से०आ०, राँची/विविध–01/2019–20...156...... राँची/दिनांक–24/02/22

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अगले साधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस आदेश को 100 (एक सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

संयुक्त सचिव,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)